International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp.78-80

समाज में लैंगिग असमानता की एक समाजशास्त्रीय विवेचना

योगिता रानी पंवार*

सार

लैगिंग असमानता एवं अन्याय आज सम्पूर्ण विश्व के लिए ज्वलन्त समस्या चुनौती है। अनेक देश आरम्भ में पुरूष प्रधान रहे है, आज भी है परिवार समाज पुरूषों का वर्चस्व रहता है। अनेक समाज, परिवारों में महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें कई यातना यन्त्रणा दी जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी नारी को प्रताड़ित किया गया है। नारी को सदैव अबला कहा जाता है। वह पुरूष पर आश्रित है उसने अपने जीवन में केवल आँसू ही देखे हैं। बाल विवाह, कन्या वध, बहुविवाह, बाल विधवाए, लड़कियों औरतों का क्रय–विक्रय करना, वैश्यावृत्ति करवाना, जौहर प्रथा, डाकल प्रथ, लडकियों को उच्च शिक्षा न देना, लड़कियों के जन्म पर दुख मनाना, सती प्रथा, नाता प्रथा यह सभी लैंगिक असमानता का उदाहरण है। जेन्डर (लैंगिग) शब्द का प्रयोग पुरूषोचित्त (मैस्क्यूलिन) और स्त्रियोचित (फैमिनिन) की सामाजिक रूप से, निर्मित कोटियो के लिए किया जाता है, जेंडर स्त्रीत्व एवं पुरूषत्व के रूप में समानान्तर और सामाजिक रूप में असमान विभाजन से है अर्थात् जेंडर की अवधारणा स्त्रियों, पुरूषों के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के पहलूओं पर ध्यान आकर्षित करती है। जापान से लेकर मोरक्को उजबेकिस्तान से अमेरिका तक के देशों में यही स्थिति है। भारत में भी यही स्थिति है। लैंगिग असमानता एवं अन्याय में विश्व के 196 देशों में भारत का 10वाँ स्थान है, लैंगिग असमानता के प्रकार निम्नलिखित है– (1) जन्मत असमानता (2) व्यावसायिक असमानता (3) स्वामित्व की असमानता (4) गृहस्थ असमानता (5) अन्य असमानताएँ– महिलाओं को पर्दे में रखना, उन्हें बाहर नहीं जाने देना, काम पर नहीं जाने देना इत्यादि। सरकारी गैरसरकारी संगठनों, एन.जी.ओ. कानून, भारतीय संविधान द्वारा इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। भारत देश में महिला सशक्तीकरण 2001 वर्ष मनाया जाता है फिर भी लैंगिक असमानताऐं एक अभिशाप बनता जा रहा है। इन सभी की चर्चा करना इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत लेखन सामग्री द्वितीयक स्त्रोत से ली गई है।

'kCnkoyh *लैंगिक असमानता, नाता प्रथा, डाकन प्रथा, अबला, अभिशाप, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय।*

परिचय

y¨fxx vlekurk ,d lkekftd vfHk'kki

जेंडर और सेक्स दो भिन्न अवधारणा है। जेंडर शब्द का प्रयोग पुरूषोचित्त (मैस्क्यूलिन) और स्त्रियोचित (फेमिनिन) की सामाजिक रूप में निर्मित कोटियों के लिए किया जाता है। सेक्स (यौन) एक जैविकीय कोटि है। अन्न ओकले ने जेंडर को महिलात्व, पुरूषत्व का समानान्तर सामाजिक असमानता का विभाजन माना था। अन्न ओकले का विचार था कि यौन (Sex) का अभिप्राय जैविकीय लिंग के आधार पर स्त्री, पुरूषों का विभाजन माना था। जेंडर की अवधारणा स्त्रियों, पुरूषों के बीच सामाजिक रूप में निर्मित भिन्नता के पहलूओं पर ध्यान आकर्षित करती है, किंतु आजकल जेंडर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान, 'व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक स्तर पर इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदशों, पुरूषत्व एवं स्त्रीत्व सम्बन्धी रूढ़िबद्ध धारणाओं के लिए और संरचनात्मक अर्थों में संस्थाओं संगठनो में लैगिंग श्रम विभाजन के रूप में भी किया जाता है। सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में लिंग की रचना/अभिव्यक्ति की जाती है। यह सांस्कृतिक विचारधारा, तार्किक धारणाओं तक ही सीमित नहीं है। 1970 के दशक में समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों का ध्यान पुरूष, महिलाओं के बीच भेद, अन्तरो के बीच गया ये कहा गया कि पुरूष, महिलाओं के बीच अलग–अलग संस्कृतियों, समाजों में अलग–अलग व्यवस्थाएँ हैं। पहले समाजशास्त्री पुरूष, महिलाओ के बीच अंतर शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर करते थे। किंतु जेंडर शब्द मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्तरो का प्रतीक है। समाज द्वारा ही स्त्री–पुरूषों में भेद उत्पन्न किया जाता है। मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय मातृस्थानीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति उच्च है, किंतु पितृस्थानीय,

* सहायक आचार्या, समाजशास्त्र विभाग, सत्य साई पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक समाज में पुरूषों की स्थिति उच्च होती है। आज हम भले ही भारतीय समाज में महिला–पुरूष समाज अधिकारो की बात कर रहे हो लैंगिग भेदभाव न होने की दलीले दे रहे हो किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय महिलाए न तो स्वतंत्र है न ही इतनी स्वावलम्बी की अपने निर्णय स्वयं ले सके भारतीय महिला इस साइबर युग में भी उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार, दहेज प्रथा, बहुविवाह, डाकन प्रथ, नाता प्रथा, पारिवारिक कलह का शिकार होती है। जीवन के हर क्षेत्र में आज नारी दोयम स्थान पर है– यथा– आर्थिक दृष्टि से महिलाएँ पुरूषों पर अधिक आश्रित रहती है, महिलाए पुरूषों की तरह स्वतंत्र नहीं होती, कन्याओं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, पति की मृत्यु पर पत्नी को दूसरा विवाह करने का आसानी से अधिकार नहीं मिलता, विधवा होने पर महिलाओं को समाज के कई कड़वे घूंट पीने पड़ते है। महिलाओं के विरूद्ध दोहरा भेदभाव होता है पहला बाहर से क्योंकि वे सुदाय से है तथा दूसरा समुदाय के अंदर से क्योंकि वे महिलाएँ है। ग्रामीण महिलाओं को बहुधा शारीरिक, व्यक्तिगत अतिक्रमणों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं को 3 स्तर पर शोषण, असमानता का शिकार होना पड़ता है। (1) जातिगत स्तर (2) वर्गस्तर (3) लैंगिग स्तर। राजस्थान में यह दशा है कि गाँव में महिलाएँ सरपंच पद पर नियुक्त होती है और उनके पंचामतो के सभी कार्य उनके पति सम्पन्न करते है, चुनाव महिलाए जितती है, सरपंच उनके पति कहलाते है। भारत में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी के बारे में भिन्न–भिन्न राजनैतिक दलों के दृष्टिकोण की जानकारी करें तो ज्ञात होता है कि भारत के राजनैतिक दलों के द्वारा पर्याप्त संख्या में महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, इसके पीछे राजनैतिक दलों का तर्क है कि सामान्यता महिलाए चुनाव जीत नहीं पाती किन्तु "वीमैन्स पालिटिकल वॉच" नामक संस्था के सर्वेक्षण के अनुसार राजनीतिक दलों की यह धारणा पूर्ण रूप से आधारहीन, गलत है।

2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा डिस्चार्ज किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत 135 देशों के मतदान के बीच जेंडर गैप इंडेक्स (G.G.I.) में 113 पर तैनात था तब से भारत ने 2013 में वटर्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इन्डेक्स (G.G.I.) पर अपनी रैकिग को 105/136 तक बढ़ा दिया है। जब भारत को (CGI) के टुकडो में बांटा जाये तो यह राजनैतिक मजबूती पर अच्छा प्रदर्शन करती है।

yfxx vlekurkvk d idkj

- tUer% vlekurk& इसमें लड़कियों की बजाये लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के के जन्म पर मातम छा जाता है। भ्रुण हत्या तक कर देते है।
- LokfeRo dh vlekurk& अनेक समाजों में नारी को सम्पत्ति में हिस्सा नहीं देते है, देते भी है तो नाममात्र का होता है, जैस– स्त्रियों के नाम से फर्म नहीं होता, वे व्यापार का संचालन नहीं करती, स्त्रियाँ हमेशा आर्थिक दासता में रहती है।
- xgLFk fo"k;d vlekurk& पुरूष एवं महिलाओं के बीच कार्य का विभाजन है। पुरूष बाहर कार्य देखते है, महिलाऐं घर का कार्य देखती है। महिलाएं चार दिवारी में केवल चूल्हे, चौके तक सीमिट जाती है।
- 0;olkf;d vlekurk& महिलाओं को कई क्षेत्रों में आसानी से रोजगार नहीं मिलता है। अधिकांश कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में पुरूषों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि महिलाओं को रोजगार मिल भी जाता है तो उनके, पुरूषों के वेतन में असमानताएं होती है। समाज में यदि अनुसूचित जाति की महिलाओं की बात करें तो जब दलित आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था तब कई विदूषी स्त्रियों ने दलित जातियों में कार्य कर रही थी इसके बावजूद भी भारत में इन जातियों की स्त्रियों की दशा निम्न थी क्योंकि इस जाति में भी पितृसत्तात्मक मानसिकता थी। लड़का, लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। छुआछुत के कारण शिक्षकों का व्यवहार भी उनके साथ अच्छा नहीं था। वर्ग संरचना में यदि महिला, पुरूष के संदर्भों के आधारों की बात करें तो पुरूष की कमाई के आगे महिला की कमाई गौण है। महिलाओं द्वारा उच्च पद पर कार्य करना पुरूषों द्वारा असहनीय है, यह माना जाता है कि महिलाओं की भारी भरकम आय होने के बावजूद भी वर्ग संरचना में वह पुरूषों से, नीचे ही है। भारती समाज में महिलाएं हमेशा विवादस्प्रद रही है। जो लोग महिलाओं के गुणों के समर्थक होते है, वह उन्हें विदूषी पूजा योग्य मानते है, लेकिन जो लोग महिलाओं के आचरण सम्बन्धी संदर्भो को निम्न स्थिति में देखते है, वे लोग महिलाओं को गलत दृष्टि सम्बोधनों से पुकारते है no , l-lh- ¼1990½A[1] किसी भी राष्ट्र की खुशहाली का वास्तविक आधार उसकी आबादी का 50 प्रतिशत महिलाएँ, लड़कियाँ खुशी सम्मान, आजादी का एहसास करें है– कमला भसीन। किंतु दूषित, भेदभूलक प्रथाओं के चलते पुरूष स्त्रियों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करते आए है, जो कि कई दफा इसके अधिकारी नहीं होते है। ऐसी परम्परागत श्रेष्ठता का तमगा उन्हें नहीं मिलना

चाहिए ikfyoky d".k nÙk ¼2014½A[2] राजनीतिक सत्ता में पुरूषों का वर्चस्व उनकी दादागीरी को व्यक्त करता है। यह भेदभाव समाज के उत्थान के लिए हानिकारक है। कानून, न्यायालयों ने कई प्रावधान किये जैसे– Jherh ,- Øduy cuke LVV[3] के मामले में यह अभि निर्धारित किया गया कि किसी स्त्री को मात्र स्त्री होने के कारण सम्पत्ति रखने, उसका उपयोग–उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। Mk- ,e-lh- 'kek cuke itkc ;fuofl Vh p.Mhx<[4] के मामले में लिंग पर आधारित विभेद को असंवैधानिक घोषित किया गया है। mÙkjk[k.M efgyk dY;k.k ifj"kn cuke LVV vkQ mÙkj in'k[5] के मामले में समान पद पर समान कार्य करने वाले पुरूष एवं महिला शिक्षकों के वेतन में असमानता को चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुये स्त्रियों को भी पुरूषो के समान वेतन दिये जाने का आदेश दिया। jfM;kykftdy ,.M beftx ,lkfl;'ku cuke ;fu;u vkQ bfM;k[6] के मामले में कन्या, भ्रुण हत्या को रोकने हेतु प्रावधान किया, लिंग परीक्षण पर रोक लगाई। fo'kk[kk cuke LVV vkQ jktLFkku[7] के मामले में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये है।

yfxx vlekurkvk dk nj djus grq ljdkj }kjk fd, x, i;kl

- कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला छात्रावास की व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) ने गरीब महिलाओं के वित्तिय उत्थान के लिए लघुस्तर का फंड प्रशासन को दिया है।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की स्थापना की गयी (NMEW)
- 11–18 वर्ष की आयु वर्ग में युवा महिलाओं के सर्वांगीण सुधार के लिए सबला योजना लागू की।
- पूरे देश में देहाती, शहरी गरीब महिलाओं के लिए व्यावहारिक व्यवसाय वेतन की उम्र की गारंटी के लिए महिलाओं (एसटीईपी) के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम का समर्थन किया।
- सरकारी गैर सरकारी, एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1973,
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 20058 को मंजूरी दी है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 लागू किया।
- लैंगिग समानता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी सक्रिय रहता है।

fu"d"k

भारत में वर्तमान में वैश्विकरण, आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण का बोलबाला है। किंतु फिर भी भारत में रूढ़िवादिता, प्रथा, परम्पराए सम्पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुयी है। पूर्ण रूप से लैंगिग समानता की राह द्वारा कठिन है किंतु असम्भव नहीं है। इस असमानताओं को दूर करने के लिए पुरूषों को महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। पुरूष–महिला को एक साथ काम करना होगा। इसके लिए लड़कियों को शिक्षित आत्मनिर्भर बनाना होगा, जागरूक अभियान, दहेज हत्या, कन्या भ्रुण हत्या जल्दी विवाह के दुष्प्रभावों से उन्हें अवगत कराना होगा इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा। यौन शिक्षा देनी होगी। वैश्यावृति समाप्त करनी होगी। बालिका, महिलाओं के क्रय–विक्रय पर रोक लगानी होगी। रोजगार के समान अवसर देने होंगे। समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में महिलाओं को अंग्रणी रखना होगा।

lUnHk xUFk lph

1. दुबे एस.सी. : इण्डियन सोसायटी न्यू देहली नेशनल ट्रस्ट।
2. पालीवाल कृष्ण दत्त (2014): "नारी विमर्श की भारतीय परम्परा" सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन प.स. 27–30, नई दिल्ली।
3. श्रीमती ए. क्रेननेल बनाम स्टेट ए. आई. आर. 1952 इलाहाबाद 746
4. डॉ. एम.सी. शर्मा बनाम पंजाब युनिवर्सिटी चण्डीगढ ए.आई.आर. 1997 पंजाब एण्ड हरियाणा 87
5. उत्तरखाण्ड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ए. आई आर. 1992 एस.सी. 1965
6. रेडियोलोजिकल एण्ड इमेजिंग एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए. आई. आर 2011 बम्बई 171
7. विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ए. आई. आर. 1997 एस.सी. 3011

❖◆❖